

#1167

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौड़गढ़ ( राजस्थान )  
( पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल निम्बाहेडा )

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

धारा अर्न्तगत -136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट प्र.स. 45/2025 दायर दिनांक 9/10/2025 निर्णय दिनांक 9/10/2025



क. स.	नाम ग्राम	खाता नम्बर	रिपोर्ट			कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	परसाखेडा	43	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक /2025-26/113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना में बडौदा राज0 क्षे0 ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मुल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।			तहसीलदार कपासन की अनुशंषा स्वीकार की जाकर राज.भू. रा. अधि.1956 की धारा 136 के अध्ययीन अनुसार राजस्व रिकार्ड में ग्राम परसाखेडा पटवार मण्डल केसरखेडी के खाता संख्या 43 में वर्तमान प्रविष्टी बडौदा राज0क्षे0 ग्रामीण बैंक कपासन को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जानें का आदेश दिया जाता है।
वर्तमान प्रविष्टी			शुद्ध प्रविष्टी			
1. राजीबाई पत्नि रतनलाल जाट सा. देह खातेदार राहिन बडौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा कपासन			1. राजीबाई पत्नि रतनलाल जाट सा. देह खातेदार राहिन राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कपासन			
हस्ताक्षर पटवारी मय मोहर			हस्ताक्षर गिरदावर	हस्ताक्षर तहसीलदार मय मोहर	पदेन सहायक कलक्टर कपासन	

पटवारी  
हस्ताक्षर  
तहसीलदार (मू.अ.) कपासन  
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज)

हस्ताक्षर गिरदावर  
हस्ताक्षर तहसीलदार मय मोहर

सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़